

देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिघोषणा :—

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

संख्या SLP-16/167 भू अ0

दिनांक : 23.2.16

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना-देवघर हवाई अड्डा विस्तारीकरण हेतु ग्राम-बाबुपुर, थाना-जसीडीह, थाना संख्या-389, अंचल-देवघर, जिला - देवघर के कुल-46.74 एकड़ भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश 46.74 एकड़ है और जो ग्राम-बाबुपुर, थाना-जसीडीह, थाना संख्या-389, अंचल-देवघर, जिला-देवघर में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है -

क. स.	खाता सं.	सर्वे मूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (मूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	1	19	रैयती	बाड़ी-1	0.39	बुधन मांझी वो सुधन मांझी वो कारु मांझी, पे0- स्व. मैना मांझी वो, धनेश्वर मांझी, पे0-स्व. छेदु मांझी वो पुष्पा देवी, पति- स्व- किशुन मांझी।	मौजा सिंहपुर योगीडीह, संख्या-390..	अंश खेसरा संख्या- 17, 18, 33, 35 एवं 52.	पू0-मौजा सिंहपुर	प0 मोजा-सिमरिया
2	3	22	रैयती	बाड़ी-1	0.16	अंधेरी मांझी पिता प्यारी मांझी				
3	4	7	रैयती	धानी-1	0.43	चूटो मांझी, पे0- स्व.				
4	4	8	रैयती	धानी-1	0.09	कमलू मांझी वो मागन मांझी, पे0- स्व. सनू मांझी				
5	4	9	रैयती	बाड़ी-1	0.90	वो पोचा मांझी पिता राम मांझी वो धरमी देवी पति मैना मांझी वो धनेश्वर मांझी पिता छेदो मांझी वो पुष्पा देवी पति किशुन मांझी माता बोधी देवी				
6	4	10	रैयती	धानी-2	0.40					
7	5	1	रैयती	धानी-2	0.36					
8	5	3	रैयती	धानी-2	0.50					
9	5	4	रैयती	धानी-1	0.92					
10	5	5	रैयती	धानी-1	0.03					
11	5	6	रैयती	धानी-1	1.72	सुनील कुमार वो अनिल कुमार वो किशोर कुमार वो राजेश कुमार झा, पिता स्व लक्ष्मीकान्त झा वो श्यामसुन्दर झा वो मोहन झा वो सोहन प्र0 झा पिता स्व. शिवराम झा वो दयानन्द झा वो पंचानन्द झा, पिता स्व. सीताराम झा वो गणेश झा वो कार्तिक झा पिता स्व. उमाकान्त झा वो पवन कुमार झा वो प्रमोद कुमार झा पिता स्व. निशिकान्त झा वो रावनेश्वर प्र0 झा वो शिवशंकर झा पिता स्व0 हरि झा				
12	5	11	रैयती	धानी-2	1.85					
13	5	12	रैयती	धानी-2	0.10					
14	5	13	रैयती	धानी-2	0.44					
15	5	14	रैयती	धानी-2	1.10					
16	5	15	रैयती	धानी-2	0.70					
17	5	17	रैयती	बाड़ी-1	0.80					
18	5	30/55	रैयती	धानी-1	0.06					
19	5	06/54	रैयती	धानी-1	0.43					
20	5	41	रैयती	धानी-1	4.66					
21	5	42	रैयती	धानी-1	5.16					
22	5	40	रैयती	धानी-1	0.23					
23	5	38	रैयती	बाड़ी-1	0.63					
24	5	39	रैयती	बाड़ी-1	0.17					
25	5	32	रैयती	धानी-1	2.12					
26	5	30	रैयती	धानी-1	1.51					

27	5	33	रैयती	धानी-1	0.62				
28	5	36	रैयती	बाडी-1	0.78				
29	5	52	रैयती	बाडी-1	4.69				
30	5	52	रैयती	बाडी-1	0.56				
31	5	47	रैयती	बाडी-1	2.18				
32	5	48	रैयती	बाडी-1	8.66				
33	5	50	रैयती	बाडी-1	1.78				
34	6	23	रैयती	बाडी-1	0.33				
35	6	24	रैयती	धानी-2	0.33				
36	6	20	रैयती	बाडी-1	0.33				
37	6	21	रैयती	बाडी-1	0.04				
38	6	28	रैयती	धानी-1	0.04				
39	6	26	रैयती	धानी-1	0.11				
40	6	25	रैयती	धानी-1	0.19				
41	8	27	रैयती	बाडी-1	0.04				
						कैलाश दास वो पेंतर दास, पे0- स्व. काली दास वो शनिचरी देवी, पति स्व0 लक्ष्मण दास वो मोहन दास वो चन्द्रदेव दास वो अर्जुन दास, पिता स्व0 दुर्गा दास			
42	7	31	रैयती	धानी-1	0.20	कान्ति राजहंस वो इन्दु राजहंस वो रसतेन्दू राजहंस वो मंजू शेखर राजहंस, पिता- स्व. शशि शेखर राजहंस वो रिकु राजहंस पिता दामोदर राजहंस वो काशिनाथ राजहंस वो तुलसीनाथ राजहंस वो योगेन्द्र राजहंस वो कृष्णानन्द राजहंस वो तीर्थ राजहंस, पिता- स्व. शंभुनाथ राजहंस			
कुल-					46.74				

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम स0-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :

ग्राम-नैयाडीह, थाना-कुण्डा, थाना संख्या-404, अंचल-देवघर, जिला-देवघर, क्षेत्रफल-19.62 एकड़ यानि-7.94 हे0 जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार नीचे दिये गये हैं :-

(अधिनियम-30/2013 की तृतीय अनुसूची तथा नियम 30(2) देखें) भूमि अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों के लिए मौजा-नैयाडीह, थाना संख्या-404, रकवा -19.62 एकड़ भूमि अर्जित की गयी है। विस्थापितों को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के अधीन प्रस्तावित आधारभूत संरचनात्मक साधन-सुविधाओं के उपबंध का प्रारूप-


क्र0 सं0	संघटक	आधारभूत संरचनात्मक/साधन-सुविधाओं का विवरण
1	सड़क	पी0सी0सी0 सड़क निर्माण का प्रावधान है।
2	जल निकास	पक्की नाली का प्रावधान है।
3	पेयजल	डीप बोरिंग का प्रावधान है।
4	पशु के लिए पेयजल	तालाब निर्माण करने का प्रावधान है।
5	चारागाह के लिए भूमि	सटे हुए गांव ठाढ़ी दुलमपुर में चारागाह उपलब्ध है।
6	उचित मूल्य की दुकान	नैयाडीह से संलग्न गांव चितोलौढिया में उचित मूल्य की दुकान है।
7	पंचायत घर	नैयाडीह के पंचायत मुख्यालय संग्रामलोढिया में पंचायत भवन उपलब्ध है।
8	डाक घर	नैयाडीह से 02 कि0मी0 दूरी देवसंग में डाक घर है।

9	खाद भंडार	—
10	सिंचाई सुविधाएं	तालाब निर्माण करने का प्रावधान है।
11	परिवहन सुविधाएं	3 पाहिया एवं 4 पाहिया वाहन से परिवहन की सुविधा है।
12	कब्रगाह और श्मशान घाट	नैयाडीह से 03 कि०मी० दूरी पर दुर्गापुर गांव में कब्रगाह है तथा 04 कि०मी० की दूरी पर चौरडीहा में श्मशान घाट उपलब्ध है।
13	शौच घर	प्रत्येक परिवार के लिए अलग-अलग शौचालय का प्रावधान है।
14	विद्युत सम्बद्धता	विद्युत सम्बद्धता का प्रावधान है।
15	पोषण सेवा	—
16	विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय का प्रावधान है।
17	उप स्वास्थ्य केन्द्र	नैयाडीह से सटे गांव चितोलोढ़िया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है।
18	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	—
19	कीड़ा स्थल	नैयाडीह से सटे गांव में कीड़ा स्थल है।
20	सामुदायिक भवन	सामुदायिक भवन बनाने का प्रावधान है।
21	उपासना स्थल	नैयाडीह से सटे गांव चितोलोढ़िया में उपासना (दुर्गा मंदिर एवं बजरंग बली मंदिर) उपलब्ध है।
22	जनजाति संस्था के लिए पृथक भूमि	—
23	इमारती वन उत्पाद	—
24	सुरक्षा प्रबंधन	कुण्डा, देवघर में थाना उपलब्ध है।
25	पशु चिकित्सा	देवघर में पशु चिकित्सा उपलब्ध है।
26	अन्य अवयव यदि हो	


23/11/16

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

23/11/16


23/11/16

जिला समाहर्ता
देवघर

समाहर्ता-सह उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक / भू अ०, देवघर, दिनांक

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : मुखिया, संबंधित ग्राम पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।


23/11/16

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

23/11/16


23/11/16

जिला समाहर्ता
देवघर

समाहर्ता-सह उपायुक्त,
देवघर।